

50A  
30/00

458

45B  
विशेषज्ञता के बिना  
को नहीं कर दिया जो  
विक्रय के लिए नहीं हो  
सकता है।

क्रमांक	3	4
श्रेणी (अथवा ही में)	3914	
वर्णन		

गैर न्यायिक  
त INDIA



FIVE HUNDRED  
RUPEES

Rs. 500

NON JUDICIAL

0.250  
168000

44-परीषद

B 729334

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH



॥ जय श्री लालाजी ॥



विक्रय-पत्र (कृषि भूमि)

विक्री मूल्य 2,50,000/- रु (अक्षरी दो लाख पचास हजार रुपये)

संपत्ति वाले नाम 'दोंदवाज' व.ह.नं. 88, रा0नोमं0-छैजावखमान, वि0ख0-छैजावमाखन तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड के भाग में स्थित है। विक्रीत संपत्ति अक्षिचित रखे की है विक्रीता के पास भू अधिकार एवं खण्ड पुस्तिका भाग एक है जिराका क्र. एन/54222 है। विक्रीत संपत्ति ग्रामीण मार्ग पर स्थित है।	मुद्रांक शुल्क 18750-00 ज.प शुल्क 2500-00 उपकर 938-00 आधिक 12-00 कुल योग 22200-00
--	---

सशस्त्र सेना झंडा दिवस



7 DECEMBER - 2008 - 7 DECEMBER  
ARMED FORCES FLAG DAY

Handwritten signature

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

8 729335

..2..

बिक्रील संपत्ति प्राप्तिकी गददा अथवा भू-दान की नहीं है। बिक्रील संपत्ति कृषि कार्य की होकर कृषि मक में वर्ज है। इस लेख के दोनों पक्षकार मध्यप्रदेश भू-राजस्व की धारा 185 तथा सिलिंग एक्ट सन् 1960 का उल्लंघन नहीं करते है। क्रेता एवं विक्रेता जाबिवासी नहीं है।

--: क्रेता का नाम --:

1. श्री. कमलेश सेठी पिता श्री माणकचन्दजी सेठी, जाति जैन, निवासी संतोषनगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड म.प्र. को

--: विक्रेता का नाम --:

1. श्रीमती आनूजबी पति श्री हाजी नूर मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी हातमपुरा, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड म.प्र. ने.

--: प्रतिफल --:


2,50,000/- रु. अक्षरी दो लाख पचास हजार रुपये मगद प्राप्त सो हम भरपाये

..3..

Handwritten signature in Hindi script.

Handwritten signature and text: 49/4amp

Handwritten signature.



**मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH**

..3..

**---संपत्ति का विवरण:--**

संपत्ति वाले नाम 'दोंदवाड़ा' प.ठ.नं 08, रा0जि0मं0-छैगाँवखामा, वि0ख0-छैगाँवखामा, तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड के भाग में स्थित खैरा खसरा नंबर 851, रकबा 4.24 हैक्टेयर इस वीकि उत्तर दिशा का भाग 1.44 हैक्टेयर अर्थात 3.60 एकड़ असिधित जमीन आज जिस भी हालत में है उसी हालत में जाज आपको विक्री कर मौके पर आप छैता का कब्जा श्री करा दिया है। सो इस 1.44 हैक्टेयर जमीन की चतुरसीमा :-

- पूर्व को - खसरा नंबर 858/2 श्रीमती आशा सेठी की जमीन
- पश्चिम को - सीताराम पटेल की जमीन
- उत्तर को - समकीत जैन की जमीन
- दक्षिण को - सेठी एबीटेल की जमीन

इस आसजी में पूर्वरी जिरापकार हम आते जाते, ठे उरती प्रकार जापके भी मय, गाडी, बैल, पैदल, मवेशी, टेक्टर-टाली आदि के आते जाते रहना।

सो इस ठह ठह व चतुरसीमा के मध्य की संपत्ति आपको मय, हक, मालकी व दीगर आदि के कुल हक हकूक सहित बेचदेकर आपके कब्जे में कर दी है।

..4..

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100  
ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

H 511142

..4..

ऐसा कि, उपर लिखी संपत्ति हम विक्रेता की मालकी, पारजा, स्वत्व एवं अधिकार की है, तथा उपर लिखी संपत्ति हमने पंजीबद्ध बिक्री पत्र दिनांक 13/10/2008 को पु.क. 131, संघ 9539 के 7 पृ. 68 से 74 के क्रं. 2872 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार पिता श्री गौरीशंकर वर्मा निवासी खण्डवा से क्रय की थी, तथा उपरलिखी संपत्ति राजस्व अभिलेखों में हम विक्रेता के नाम से दर्ज है, तथा उपर लिखी संपत्ति में हम विक्रेता के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार एवं भागीदार नहीं है। विक्रेता को उपर लिखी संपत्ति को हर प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण करने का पूरा-पूरा हक व अधिकार प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को पारिवारिक खर्च, एवं लाभप्रद विनियोजन हेतु रुपयों की आवश्यकता है, इस कारण उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करके विक्रेता अपनी आवश्यकता को पूरी करना चाहता है। उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करने की बात विक्रेता ने क्रेता से की तो विक्रेता एवं क्रेता के मध्य उपर लिखी संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य 2,50,000/- रु. अक्षरी दो लाख पचास हजार रुपये मात्र में तय हुआ है उक्त मूल्य में क्रेता उपर लिखी संपत्ति को क्रय करने को तत्पर है, जो बिक्रीत संपत्ति का आज के समय मान से उचित एवं जायज मूल्य है। इससे अधिक मूल्य आना संभव नहीं है। अतएव विक्रेता ने उपर लिखी संपत्ति क्रेता को 2,50,000/- रु. अक्षरी दो लाख पचास हजार रुपये मात्र के मूल्य में विक्रय करके, विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है, सो भ्रपाये, सो पाकर इन रुपयों के एवज में उपर लिखी संपत्ति हर हमेशा के वारसे क्रेता को विक्रय करके विक्रेता ने क्रेता के कब्जे में कर दी है एवं क्रेता ने भी विक्रेता से मीके पर दो गवाहों के समक्ष उपर लिखी संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

..5..

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

H 511143

..5..

अब आप क्रेता विक्रीत संपत्ति के पूरे सोलह आने के मालिक एवं कब्जेदार हो चुके हो, अब आप क्रेता ने विक्रीत संपत्ति पर अपना कब्जा रखकर विक्रीत संपत्ति का मालिक की हैसियत से जैसा चाहे वैसा उपयोग एवं उपभोग प्राप्त करते आना। विक्रीत संपत्ति के संबंध में विक्रेता को जितने ठेक, अधिकार एवं सुझाधिकार प्राप्त है, उन सब हक, अधिकार एवं सुझाधिकार सहित संपत्ति आप क्रेता को विक्रय की है।

अब आप क्रेता ने विक्रीत संपत्ति को इस लेख के माध्यम से राजस्व प्रपत्रों एवं ग्राम पंचायत आदि के लेखों में विक्रेता के नाम के स्थान पर आप क्रेता का नाम दर्ज करवा लेना एवं आप क्रेता का नाम दर्ज करवाने में उहाँ श्री विक्रेता के हस्ताक्षर एवं कथन की आवश्यकता होगी विक्रेता क्रेता को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

विक्रीत संपत्ति का आज दिनांक तक का बकाया लगान, अदावत एवं विक्रेता अदा करने एवं आज के बाद से आप क्रेता ने समय पर देते आना।

विक्रीत संपत्ति पर विक्रेता का, विक्रेता के पारसान, रिश्तेदार, भाईबंध, कुटुम्ब, परिवार के सदस्य का किसी प्रकार का कोई हक, दावा, अधिकार, झगडा आदि रहा नहीं अगर उपरोक्त किसी प्रकार के शरुस ने कोई हक, दावा, अधिकार, झगडा किया तो वह सब इस लेख के समक्ष रह व नाजायज माना जावेगा तथा आप क्रेता का कब्जा इस लेख के तहत कायम रहेगा।

Handwritten signature

..6..

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

H 511144

..6..

विप्रीत संपत्ति पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, श्रम विकास बैंक, वित्तीय निगम, अथवा मध्यप्रदेश ग्रह निर्माण मण्डल, एवं जीवन बीमा निगम आदि का कोई कर्ज भार इत्यादि नहीं है, और भा 81 संपत्ति विक्रेता के द्वारा किसी अन्य लेख के जरिये कहीं पर रहन, बय, बंधीस, चार्ज, कुर्की, बंधक, ढान, बिक्री, गिरवी, वसीयत, जमानत, मेइर, एवं अदालती बिक्री आदि में की है, आप क्रेता को सभी प्रकार के भार बोझों से मुक्त साठ एवं पाठ हालत में संपत्ति बेची है।

बिक्रीत संपत्ति के इस्तम संबंधी अथवा अन्य विप्रायक कोई वाद अथवा विवाद किसी भी न्यायालय या कार्यालय में अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है। बिक्रीत संपत्ति के बंध कोई विवाद पाया जावे या कोई बोझा पाया जावे अथवा अन्य किसी भी कारण से, संपत्ति की मालकी में दोष पाये जाने से बिक्रीशुदा संपत्ति सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग आप क्रेता को प्राप्त न हो सके अथवा आप क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो आप क्रेता के इन कुल रूपयों के मय ब्याज एवं खर्च सहित के देनदार एवं जवाबदार हम विक्रेता रहेगे और आप क्रेता हमारे से एवं हमारी अन्य अचल संपत्ति से पाने के अधिकारी होंगे। इसमें हम विक्रेता को लेख मात्र भी उजर या आपत्ति नहीं रहेगी, बिक्रीशुदा संपत्ति हम विक्रेता की मालकी एवं कब्जे की है, जिसे बिना बोझों के आप क्रेता को बिक्री की है।

...7..

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

H 511145

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

..7..

अतः यह विक्रय-पत्र विक्रता ने अपनी राजी-खुशी से बिना किसी दरदबाव के  
दिकी मूल्य की कुल राशि उपरोक्तानुसार प्राप्त रूप लिया किया सो सही सलब रहे गत  
जरूरत के काम आवे, इति दिनांक : 23 अप्रैल 2010

सही/- विक्रेता

मताहः

हस्ता- वि. रजि. नं.

नाम- वि. रजि. नं.

पिता- वि. रजि. नं.

पता- वि. रजि. नं.

सही/- क्रेता

हस्ता- वि. रजि. नं.

नाम- वि. रजि. नं.

पिता- वि. रजि. नं.

पता- वि. रजि. नं.

नोट- इस लेख में कोई कांट-छांट नहीं है.

उपरोक्तों द्वारा दी गई जानकारी एवं माहिती के अनुसार यह दस्तावेज का प्रारूप  
मेरे द्वारा मेरे कार्यालय में मुद्रित करवाया गया

मुद्रक: मुकेश रमेशचंद्र सोमानी 9827301385

अधिवक्ता, खण्डवा

एक सौ रुपये

₹. 100



RS. 100  
ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

THE NEW MADHYA PRADESH


भारत सरकार - उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्रों - न्यायिक क्षेत्रों के लिए जारी की गई है।  
इस नोट का उपयोग केवल न्यायिक क्षेत्रों में ही किया जा सकता है।  
न्यायिक क्षेत्रों के लिए जारी की गई है।  
न्यायिक क्षेत्रों के लिए जारी की गई है।

100

भारत सरकार - उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्रों - न्यायिक क्षेत्रों के लिए जारी की गई है।  
इस नोट का उपयोग केवल न्यायिक क्षेत्रों में ही किया जा सकता है।  
न्यायिक क्षेत्रों के लिए जारी की गई है।  
न्यायिक क्षेत्रों के लिए जारी की गई है।



2.50 - 2.12  
 2.12 - 2.15  
 2.15 - 2.18  
 2.18 - 2.21



2.12 = 2.12  
 2.12 = 2.15  
 2.15 = 2.18  
 2.18 = 2.21

2802

21

0163262131847842

500R 500R से 44 तक

- 5000X5 - A4375727076-29-9-08
- 1000X3 - C1332537055-19-9-08
- 500X1 - B-364860 - 11
- 100X3 - H4596377039

स्वयं उपा  
स्वाम्योदर

28800-

844 से 54 तक  
38720

- 5000X7 - A4376937099 तक 6-10-08
- 1000X3 - C-1335877089 - 6-10-08
- 500X1 - B-363971- 23-7-08
- 100X2 - H-183874-75
- 20X1 - OSA-367404

कौमोती वाणेश्वरी कोमोती  
स्वाम्योदर

28800-  
38720-  
67520-

वकील प्रो. जे.डी. शर्मा  
छायेबा  
वकील की प्रति छात्रों के लिए  
हाल 4/2/08

-1196E11-

विक्रय-पत्र

कीमती-4,24,000/- चार लाख चौबीस हजार रुपये

संपत्ति वाले ग्राम "दोंदवाडा" पटवारी हल्का नंबर - 88, राजस्व निरीक्षक मण्डल - छैगाँवमाखन, विकास खंड - छैगाँवमाखन, तहसील - खण्डवा, जिला - पूर्व निमाड के भाग में स्थित है।

विक्रीत संपत्ति असिंचित रकबे की है, विक्रेता के पास भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग -1 है, जिसका क्रमांक एन./107960 है, विक्रीत संपत्ति राष्ट्रीय/राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है।	स्टाम्प शुल्क	23,320.00
	पंचायत शुल्क	4,240.00
	उपकर	1,166.00
	अधिक	74.00
	कुल	28,800.00

विक्रीत संपत्ति शासकीय पट्टा अथवा भूदान की नहीं है, विक्रीत संपत्ति कृषि कार्य की होकर कृषि मद में दर्ज है, इस लेख के दोनो पक्षकार मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 165 तथा सिलिंग एक्ट सन् 1960 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

निरंतर...2

4/2/08

0107202131347252

...2...

-// विक्रेता का नाम //

01. प्रदीप कुमार पिता श्री गौरीशंकर वर्मा, जाति कसेरा, निवासी  
घंटाघर चौक, खंडवा, तहसील खंडवा, जिला पूर्व निमाड  
...गैर आदिवासी

-// क्रेता का नाम //

01. श्रीमती खातून बी पति हाजी नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान,  
निवासी हातमपुरा, खंडवा, तहसील खंडवा, जिला पूर्व निमाड  
...गैर आदिवासी

-// प्रतिफल //

विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि 4,24,000/- चार लाख चहोत्तर  
हजार रुपये मात्र जो विक्रेता ने क्रेता से नगदी प्राप्त कर लिये  
हैं, सो भरपाये.

निरंतर...3

यशवंत



0162702131847842

...3...

-// संपत्ति का विवरण //

संपत्ति वाके ग्राम "दौदवाडा" पटवारी हल्का नंबर - 88, राजस्व निरीक्षक मण्डल - छैगाँवमाखन, विकास खंड - छैगाँवमाखन, तहसील - खण्डवा, जिला - पूर्व निमाड के भाग में स्थित है. जिसका खेत खसरा नंबर 851 रकबा 4.24 हैक्टर, लगान शामिल में 10.50 रुपये की है, पूरी 4.24 हैक्टर जमीन विक्रेता ने क्रेता को इस लेख से बिक्री की है, सो इस जमीन की चतुरेसीमा इस प्रकार है :-

- पूर्व को - खसरा नंबर 858/1 की जमीन
- पश्चिम को - सीताराम पटेल की जमीन
- उत्तर को - समकीत जैन की जमीन है
- दक्षिण को - कच्चा रास्ता

सो उपरोक्त चतुरसीमा के मध्य की 4.24 हैक्टर जमीन मय, हक, मालकी एवं दीगर आदि के कुल हक हकूक सहित विक्रेता ने क्रेता को बिक्री करके मौके पर क्रेता के कब्जे मे कर दी है.

निरंतर...4

Y. S. Chauhan

16  
8

01037021 31 247-842  
2019 10 28

...4...

ऐसा कि, उपर लिखी संपत्ति विक्रेता की मालकी, कब्जा, स्वत्व एवं आधिपत्य की है, उपर लिखी संपत्ति में विक्रेता के अलावा अन्य को हिस्सेदार एवं भागीदार नहीं है, उपर लिखी संपत्ति राजस्व प्रपत्रों में विक्रेता के नाम से दर्ज है, विक्रेता को उपर लिखी संपत्ति को हर प्रकार से हस्तांतरण करने का पूरा पूरा हक व अधिकार प्राप्त है, चूंकि विक्रेता को दीगर कार्य, पारिवारिक खर्च एवं लाभप्रद विनियोजन हेतु रुपयो की आवश्यकता है, इस कारण उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करके विक्रेता अपनी आवश्यकताओ को पूरी करना चाहता है, उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करने की बात विक्रेता ने क्रेता से की तो विक्रेता एवं क्रेता के मध्य उपर लिखी संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य 4,24,000/- चार लाख चौबीस हजार रुपये मात्र तय हुआ है, उक्त मूल्य में क्रेता उपर लिखी संपत्ति को क्रय करने को तत्पर है, जो विक्रीत अचल संपत्ति का आज के समय मान से उचित एवं जायज मूल्य है, इससे अधिक मूल्य आने की संभावना नहीं है, अतएवं विक्रेता ने उपरलिखी संपत्ति क्रेता को 4,24,000/- चार लाख चौबीस हजार रुपये मात्र के मूल्य में विक्रय करके, विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि विक्रेता ने क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है, सो भरपाये, सो पाकर इन रुपयो के एवज में उपर लिखी संपत्ति हर हमेशा के वास्ते क्रेता को विक्रय करके विक्रेता ने क्रेता के कब्जे में कर दी है एवं क्रेता ने भी विक्रेता से मौके पर दो गवाहों के समक्ष उपर लिखी संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिये है.

निरंतर...5

Y. D. D. D.

[Signature]

6

0103202131247842

...5...

अब आप क्रेता बिक्रीत संपत्ति के पूरे मालिक एवं कब्जेदार हो चुके हो, अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति पर अपना कब्जा रखकर बिक्रीत संपत्ति का मालिक की हैसियत से जैसा चाहे वैसा उपयोग एवं उपभोग प्राप्त करते जाना, बिक्रीत संपत्ति के संबंध में विक्रेता को जितने हक, अधिकार एवं सुखाधिकार प्राप्त हैं, उन सब हक, अधिकार एवं सुखाधिकार सहित संपत्ति आप क्रेता को विक्रय की है

अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति को इस लेख के माध्यम से राजस्व प्रपत्रों के लेखों में विक्रेता के नाम के स्थान पर आप क्रेता का नाम दर्ज करवा लेना, आप क्रेता का नाम दर्ज करवाने में जहाँ भी विक्रेता के हस्ताक्षर एवं कथनो की आवश्यकता होगी, विक्रेता आप क्रेता को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे

बिक्रीत संपत्ति का आज दिनांक से पहले तक का बकाया लगान विक्रेता अदा करेंगे एवं आज के बाद से आप क्रेता ने देते जाना.

बिक्रीत संपत्ति पर विक्रेता का, विक्रेता के वारिसान, रिश्तेदार, भाईबंध, कुटुम्ब, परिवार के सदस्य का किसी प्रकार का कोई हक, दावा, अधिकार, झगडा, आदि रहा निरंतर...6

Y. Quant



(7)

01632021 31847 842

...6...

अगर उपरोक्त किसी प्रकार के शख्स ने कोई हक, दावा, अधिकार, झगडा किया तो सब इस लेख के समक्ष रदद व नाजायज माना जावेगा तथा आप क्रेता का कब्जा बिक्रीत त्ति पर कायम रहेगा.

बिक्रीत संपत्ति पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अर्द्धशासकीय बैंक, वित्तीय ंस्था, साहूकार, समिति आदि का कोई कर्ज, भार इत्यादि नहीं है, और ना ही संपत्ति विक्रेता के द्वारा किसी अन्य लेख के जरिये कही पर रहन, बय, बक्षीस, चार्ज, कुकी, बंधक दान, बिकी, गिरवी, वसीयत आदि मे की है, आप क्रेता को सभी प्रकार के भार व बोझे से मुक्त साफ एवं पाक हालत मे संपत्ति बेची है.

बिक्रीत संपत्ति के स्वत्व संबंधी अथवा अन्य किसी विषयक कोई वाद अथवा विवाद किसी भी न्यायालय या कार्यालय में अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है, बिक्रीत संपत्ति बाबत कोई विवाद पाया जावे अथवा अन्य किसी भी कारण से, संपत्ति की मालकी मे दोष पाये जाने से बिक्रीत संपत्ति संपूर्ण अथवा जुज भाग आप क्रेता को प्राप्त न हो सके अथवा आप क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो आप क्रेता के इन कुल रुपयो के मय ब्याज एवं खर्च सहित के देनदार एवं जवाबदार विक्रेता रहेगे और आप क्रेता, विक्रेता से एवं विक्रेता की अन्य चल अचल संपत्ति से पाने के अधिकारी रहोगे, इसमे हम विक्रेता को लेश मात्र भी उजर या आपत्ति नहीं रहेगी, बिक्रीत संपत्ति विक्रेता की मालकी एवं कब्जे की है, जिसे बिना बोझे की आप क्रेता को बिक्री की है.

निरंतर...7

Yashwanth

The Branch manager,  
 Union Bank of India,  
 Simla City Branch,  
 Simla N.P.  
 Subject: Regarding Release of P.N.  
 Dewas No.

(8)

01032021 31247242

...7...

अतः यह विक्रय पत्र विक्रेता ने अपनी राजी-खुशी से, बिना किसी प्रकार का नशा किये, बिना किसी डर दँबाव, के विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर गवाहो के समक्ष लिख दिया सो सही, इति खंडवा, दिनांक 13.10.2008

गवाह

हस्ताक्षर विक्रेता

01.

श्री. रमेश चंद्र शर्मा  
 काटपीट खंडवा

म. सुधा

02.

श्री. देव्या देवी  
यमनमाच

हस्ताक्षर क्रेता  
श्री. देव्या देवी

नोट इस लेख में कोई काटपीट नहीं है

म. सुधा

उभयपक्षों के द्वारा दी गई जानकारी एवं लाये गये दस्तावेजों के आधार पर इस दस्तावेज का प्रारूप मेरे द्वारा तैयार करवाया गया है.

प्र. बिजौरिया  
 आर. पी. बिजौरिया  
 अधिवक्ता, खंडवा

सत्य प्रतिलिपि

म. सुधा

मुद्रक - राकेश रमेशचंद सोमानी- 98272-33814





**8, Madhuban, Ramganj, Khandwa (M.P.) 450001**

**TITLE REPORT**

Sindhi Colony, Sapna

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एरा.डी.ओ. जिला खण्डवा

आदेश

(नियम 13 के नियम .... देखें)

1. भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत नाम : KAMLESH SETHI पता : 26 SANTOSH NAGAR BLUE HOUSE KHANDWA 450001 द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन की शूनांग आवेदन क्रमांक 2200 4702 164 दिनांक 02/12/2020 द्वारा निम्न तालिका अनुसार की गई है :-

जिला : खण्डवा तहसील : खण्डवा रा.नि. सं.: पैगांव माखन पटवारी हल्का : दोंदवाड़ा ग्राम : दोंदवाड़ा										
सर्वे नंबर	घातू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रव्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	प्रव्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	
851/1	कृषि	व्यावसायिक	14400	14400	3.00	43200.00	14400	1.00	14400.00	7200.00
भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि				64800.00						


2. उक्त भूमि के व्यपवर्तन उपरांत निम्न तालिका अनुसार प्रव्याजी एवं भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता है जो निम्नानुसार है :-

जिला : खण्डवा तहसील : खण्डवा रा.नि. सं.: पैगांव माखन पटवारी हल्का : दोंदवाड़ा ग्राम : दोंदवाड़ा										
सर्वे नंबर	घातू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रव्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	प्रव्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	
851/1	कृषि	व्यावसायिक	14400	14400	3.00	43200.00	14400	1.00	14400.00	7200.00
पुनर्निर्धारण उपरांत कुल देय राशि				64800.00						

4. (सी) आदेशित किया जाता है, भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2200 4702 164 दिनांक 02/12/2020 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार भू-अभिलेख दुम्भत किया जाये। (जहाँ अपोहरताक्षरी द्वारा निर्धारित राशि एवं भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई राशि सामान है।)

5. भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2200 4702 164 दिनांक 02/12/2020 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग/निर्धारण हेतु गलत जानकारी देने सम्बन्धी तथ्य संज्ञान में आने से उद्भूत हुए अतिरिक्त प्रव्याजी, भू-राजस्व एवं अर्थदंड का भुगतान करने हेतु भूमिस्वामी बाध्य होगा।

दिनांक : 02/12/2020



प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
अनुविभागीय अधिकारी  
खण्डवा (म.प.)  
जिला खण्डवा तहसील : खण्डवा

- ✓ KAMLESH SETHI (भूमिस्वामी/आवेदक) पैरा 04 में अंकित अतिरिक्त राशि के भुगतान (पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2200 4702 164 दिनांक 02/12/2020 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार) हेतु।  
2. तहसीलदार पैरा - 4 में अंकित राशि के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
3. संबंधित पटवारी हल्का दोंदवाड़ा रा.नि.सं. पैगांव माखन तहसील, खण्डवा की ओर कार्यवाही हेतु।